



Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



Right To Information Act 2005

क्रमांक: राअमअ/संस्थापन/2019/ 323


दिनांक: 16.09.19

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय आदेश क्रमांक राअमअ/RTI/2019/245 दिनांक 31.07.2019 की पालना सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 17.09.2019 अपराह्न 12:00 बजे राज्य सूचना आयोग, जयपुर निम्न विभागाध्यक्षों को संयुक्तरूप से जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डॉ. राकेश राठी, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साईंन्स अभियांत्रिकी विभाग
2. डॉ. हरिशंकर मेवाड़ा, विभागाध्यक्ष ई.आई. एण्ड सी.ई. विभाग
3. डॉ. आलोक खत्री, विभागाध्यक्ष यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग
4. डॉ. गणपत सिंह, विभागाध्यक्ष सिविल अभियांत्रिकी विभाग
5. श्री विवेक दुबे, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी


उक्त यात्रा हेतु वाहन महाविद्यालय परिसर में प्रातः 08:00 बजे उपलब्ध रहेगा एवं TA/DA नियमानुसार देय होंगे।


प्राचार्य एवं
अपीलीय अधिकारी

क्रमांक: राअमअ/संस्थापन/2019/ 3856-3864
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 16.09.19

1. संबंधित विभागाध्यक्ष को पालनार्थ
2. RTI Cell
3. रक्षक पत्रावली
4. Reg^r to exchange vehicle.


कुलसचिव एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी